रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937
No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सं. : भा.आ.प.–34(41)/2015–मेडि./176044.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित अभिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः

3. "नवीकरण (अर्थात् तीसरे बैच के दाखिले) के चरण में कॉलेज" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(3)(1)(क) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(क) II नवीकरण (अर्थात् तीसरे बैच के दाखिले) तक अनुमति पत्र के चरण में कॉलेज

यदि संस्थान के निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन संकाय और/या रेजिडेंटों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग <50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्र आदि में 45 प्रतिशत) है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किए जाने/अनुमति के नवीकरण के लिए उस संस्थान से कमियों में सुधार के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

4. "एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए संस्थान की मान्यता तक III नवीकरण (अर्थात् चौथे बैच के दाखिले) से चरण में कॉलेज" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(3)(1)(ख) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(ख) III और IV नवीकरण (अर्थात् चौथे और पांचवें बैच के दाखिले) के चरण में कॉलेज

यदि संस्थान के किसी निरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन संकाय और/या रेजिडेंटों की कमी 20 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग <65 प्रतिशत है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के लिए उस संस्थान से सुधार के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

5. "ऐसे कॉलेज, जो एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए पहले ही मान्यताप्राप्त हैं और/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(3)(1)(ग) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

(ग) ऐसे कॉलेज, जो एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए पहले ही मान्यताप्राप्त हैं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

यदि संस्थान के किसी निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह अवलोकन किया गया है कि अध्यापन संकाय और/या रेजिडेंटों की कमी 10 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग <70 प्रतिशत है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के मुद्दे के लिए उस संस्थान से कमी के सुधार के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसके अलावा उस शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनपत्र प्रोसेस करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले रोकने के निर्देश के साथ–साथ उस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे उन स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हैं, की मान्यता वापस लेने के लिए सिफारिश की जाए।"

6. "कॉलेज, जो नकली/जाली दस्तावेज़ों वाले अध्यापक नियुक्त करने वाले पाए गए हैं" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(3)(1)(घ) में दूसरा पैराग्राफ निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"तथापि, परिषद् का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरीक्षण, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्त्वपूर्ण धार्मिक और त्योहार अवकाशों से कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद न किए जाएं।"

डॉ. रीना नैय्यर, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./408(100)]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98–मेडि. के अंतर्गत 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग–III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 07/10/1999, 14/08/2000, 29/07/2008, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015 और 14/01/2016 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, 18th March, 2016

No. MCI-34(41)/2015-Med./ 176044.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2016".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -

3. In Clause 8(3)(1)(a) under the heading of "Colleges in the stage up to II renewal (i.e. Admission of third batch)" shall be substituted as:-

   (a) Colleges in the stage of Letter of Permission up to II renewal (i.e. Admission of third batch)

   If it is observed during any inspection/assessment of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 30% and/or bed occupancy is <50% (45% in North East, Hilly terrain, etc.), compliance of rectification of deficiencies from such an institute will not be considered for issue of Letter of Permission (LOP)/renewal of permission in that Academic Year.

4. In Clause 8(3)(1)(b) under the heading of "Colleges in the stage from III renewal (i.e. Admission of fourth batch) till recognition of the institute for award of M.B.B.S. degree" shall be substituted as:-

   (b) Colleges in the stage of III & IV renewal (i.e. Admission of fourth & fifth batch)

If it is observed during any inspection of the Institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 20% and/or bed occupancy is <65%, compliance of rectification of deficiencies from such an institute will not be considered for renewal of permission in that Academic Year.

5. In Clause 8(3)(1)(c) under the heading of "Colleges which are already recognized for award of M.B.B.S. degree and/or running Postgraduate courses" shall be substituted as:-

(c) Colleges which are already recognized for award of M.B.B.S. degree and/or running Postgraduate courses.

If it is observed during any inspection / assessment of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 10% and/or bed occupancy is <70%, compliance of rectification of deficiency from such an institute will not be considered for issue of renewal of permission in that Academic Year and further such an institute will not be considered for processing applications for Postgraduate courses in that Academic Year and will be issued show cause notices as to why the recommendations for withdrawal of recognition of the courses run by that institute should not be made for undergraduate and postgraduate courses which are recognized u/s 11(2) of the IMC Act, 1956 along with direction of stoppage of admissions in permitted postgraduate courses.

6. In Clause 8(3)(1)(d) under the heading "Colleges which are found to have employed teachers with fake/forged documents: the second paragraph shall be substituted as:-

"However, the office of the Council shall ensure that such inspections are not carried out at least 2 days before and 2 days after important religious and festival holidays declared by the Central/State Govt."

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT. III/4/Exty./408/(100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1993, vide Medical Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. And amended vide notification dated 7/10/99, 14/8/2000, 29/7//2008, 22/10/2009, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14, 22/8/14, 19/10/2015 & 14/01/2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.